<u>अनुबंध</u>

निदर्शी उदाहरण - विशिष्ट विद्यमान योजनाओं के तहत गारंटीकृत ऋण सुविधाओं पर लागू जोखिम भार (आरडब्ल्यू)

(गारंटी कवरेज, प्रथम हानि प्रतिशत और पेआउट कैप अनुपात को नीचे दिए गए के अनुसार और संबंधित योजनाओं में समय-समय पर संशोधन के अनुसार फैक्टर किया जा सकता है)

योजना का नाम	*गारंटी कवर*	*जोखिम भार*
1. फैक्टरिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसएफ)	चूक (डिफॉल्ट) की गई राशि के 10% के प्रथम हानि का वहन फैक्टर्स द्वारा किया जाएगा। शेष 90% बकाया राशि का अर्थात द्वितीय हानि) क्रमशः 2:1 के अनुपात में एनसीजीटीसी और फैक्टर्स द्वारा वहन किया जाएगा।	• *चूक की गई राशि के* 10% *की प्रथम हानि* - पूर्ण पूंजी कटौती • *चूक की गई राशि के* 60% की हानि एनसीजीटीसी द्वारा वहन की जाएगी - <u>0% आरडब्ल्यू</u> • *चूक की गई* शेष 30% राशि – <u>प्रतिपक्ष /विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) जैसा लागू हो।</u> **टिप्पणी:** पूरे एक्सपोजर को गैर-गारंटीकृत मानकर अधिकतम पूंजी प्रभार एक अनुमानिक स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
2. कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसडी)	चूक की गई राशि का 75% वसूली के सभी विकल्प समाप्त हो जाने के बाद और चूक की गई राशि की वसूली के लिए कोई गुंजाइश नहीं होने के बाद ट्रस्ट द्वारा गारंटीकृत दावों का 100% भुगतान किया जाएगा।	• चूक की गई पूरी राशि - <u>प्रतिपक्ष /विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) जैसा लागू हो।</u>
3. सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू)	<u>सूक्ष्म ऋण</u> चूक की गई राशि के 3% की सीमा तक	• चूक की गई 3% राशि की प्रथम हानि - पूर्ण पूंजी कटौती • *चूक की गई राशि की 72.75%*

	प्रथम हानि। शेष राशि में से, क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में चूक की गई अधिकतम 75% राशि की गारंटी होगी	*हानि - 0% आरडबल्यू, अधिकतम* $(\{15\% * CP\} - C) * \left[\frac{SLA}{CP}\right]$ *जहां-* o CP = *क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो (स्वीकृत राशि)* o C = *क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में पिछले वर्षों में प्राप्त दावे, यदि कोई हों* o SLA = *क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में प्रत्येक खाते की स्वीकृत सीमा* o 15 *प्रतिशत पेआउट कैप को दर्शाता है* • *चूक में शेष राशि – प्रतिपक्ष/आरआरपी आरडबल्यू जैसा भी लागू हो।* ***टिप्पणी:*** *पूरे एक्सपोजर को गैर-गारंटीकृत मानकर अधिकतम पूंजी प्रभार एक अनुमानिक स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।*
4. सूक्ष्म-उद्यमों के लिए सीजीटीएमएसई गारंटी कवरेज	₹5 लाख तक चूक की गई राशि का 85%, अधिकतम ₹4.25 लाख के अधीन ₹5 *लाख से अधिक और* ₹50 *लाख तक* *चूक की गई राशि का* 75%, *अधिकतम*	• चूक में गारंटीड राशि – 0% आरडबल्यू* • चूक में शेष राशि – प्रतिपक्ष/आरआरपी आरडबल्यू जैसा भी लागू हो।

	₹37.50 *लाख के अधीन* *₹50 लाख से अधिक और ₹200 लाख तक* *चूक की गई राशि का* 75%, *अधिकतम* ₹150 *लाख के अधीन*	
* सीजीटीएमएसई के पेआउट कैप की शर्तों के अनुसार, ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं के दावों का निपटान पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई वसूली सहित प्रभार के 2 गुना की सीमा तक किया जाएगा। हालांकि, चूंकि शेष दावों का निपटान बाद के वर्षों में किया जाएगा क्योंकि स्थिति में सुधार किया गया है, गारंटीकृत हिस्से की पूरी सीमा को शून्य प्रतिशत जोखिम भार समनुदेशित किया जाएगा।		

*****